भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 309

(21 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

डीएवाई-एनआरएलएम हेतु निधि

309. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत तमिलनाडु सहित राज्यवार कुल बजट आवंटन कितना है, स्वीकृत की गई निधि कितनी है और किया गया व्यय कितना है;

(ख) इस मिशन के अंतर्गत बनाए गए स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) की कुल संख्या कितनी है और लाभान्वित हुए ग्रामीण परिवारों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण, आय सृजन और गरीबी उन्मूलन पर मिशन के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा एसएचजी और सामुदायिक संस्थाओं के लिए समय पर निधि जारी करने, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या इसके कार्यान्वयन में जागरूकता की कमी, प्रशासनिक विलंब या अपर्याप्त प्रशिक्षण जैसी चुनौतियाँ हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत ग्रामीण समुदायों के लिए बाज़ार संपर्क, संधारणीय आजीविका और कौशल विकास को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान तमिलनाडु सहित राज्य-वार कुल बजट आवंटन, स्वीकृत निधि और किए गए व्यय का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत, देश में 10.05 करोड़ ग्रामीण परिवारों को 92 लाख एसएचजी में संगठित किया गया है।

(ग) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत सशक्तिकरण के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है। इन कार्यकलापों के सकारात्मक परिणामों को मंत्रालय द्वारा कराए गए स्वतंत्र प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनों के माध्यम से सत्यापित किया गया है। 9 राज्यों में लगभग 23,000 परिवारों को शामिल करते हुए वर्ष 2019 और 2024 में दो चरणों में किए गए डेटा संग्रह पर आधारित '3ie प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन (2025)' में पाया गया कि एनआरएलएम ब्लॉकों में पारिवारिक आय में 9.5% की वृद्धि हुई है, जबकि तैयार सामुदायिक संस्थान क्लस्टरों में आय लाभ 12% से 33% के बीच रहा। इस अध्ययन में महिला सशक्तिकरण, आजीविका विविधीकरण और समग्र पारिवारिक कल्याण में सुधार के साथ-साथ प्रति व्यक्ति पारिवारिक उपभोग में 6-11% की वृद्धि भी दर्ज की गई है।

इसके अतिरिक्त, नीति आयोग द्वारा किए गए ग्रामीण विकास क्षेत्र में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के मूल्यांकन (2025) में दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) को बढ़ती आय, विविध आजीविका के अवसरों, बढ़े हुए वित्तीय समावेशन और साक्षरता, महिलाओं में अधिक आत्मविश्वास, तथा मजबूत सामुदायिक संस्थानों और अन्य विकास पहलों के साथ अभिसरण के माध्यम से बेहतर सामाजिक समावेशन में योगदान को रेखांकित करके एक अत्यधिक प्रासंगिक और प्रभावशाली कार्यक्रम के रूप में आकलित किया गया है। ये निष्कर्ष महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और ग्रामीण परिवारों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण में सुधार करने में डीएवाई-एनआरएलएम की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते करते हैं।

(घ) मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत एसएचजी और सामुदायिक संस्थानों के लिए समय पर निधि जारी करने, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता सुनिश्चित करने हेतु एक मजबूत तंत्र स्थापित किया है। स्वीकृत आवंटन और उपयोग की आवश्यकताओं के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय पर निधि जारी की जाती है। वित्तीय प्रबंधन, व्यय की निगरानी और पारदर्शिता को सुदृढ़ करने के लिए, मंत्रालय ने ई-वित्तीय प्रबंधन और लेखा प्रणाली (ई-एफएमएएस/ग्राम निधि) बनाई है, जिसे वास्तविक समय में निगरानी और कुशल निधि प्रवाह के लिए लोकोस तथा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकृत किया गया है।

क्षमता निर्माण दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) की एक मुख्य रणनीति है, जिसका उद्देश्य एसएचजी, उनके संघों, सामुदायिक संवर्गो और मिशन के कर्मचारियों के ज्ञान, कौशल, नेतृत्व तथा संस्थागत क्षमताओं को सुदृढ़ करना है। अनुभवी स्वयं सहायता समूह सदस्यों को स्थानीय परामर्श और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) और सहायक-पेशेवरों के रूप में तैयार किया जाता है, जबकि ब्लॉक स्तर पर 619 सामुदायिक प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्र (सीएमटीसी) विकेंद्रीकृत प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं। क्षमता निर्माण पहलों के अंतर्गत संस्था निर्माण, वित्तीय प्रबंधन, आजीविका, सुशासन, सामाजिक समावेशन, डिजिटल साक्षरता और उद्यमिता को शामिल किया जाता है। यह मिशन डेटा-आधारित निगरानी, निष्पादन ट्रैकिंग और सुविज्ञ निर्णय लेने के लिए लोकोस जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों का भी लाभ उठाता है, जिससे स्वयं सहायता समूहों और सामुदायिक संस्थानों की प्रभावशीलता और निरंतरता सुदृढ़ होती है।

(ङ) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) का कार्यान्वयन एक सुस्पष्ट संस्थागत संरचना के माध्यम से किया जाता है, जिसे नियमित क्षमता निर्माण, निरंतर मार्गदर्शन, मजबूत निगरानी तंत्र, तथा निधि प्रवाह और कार्यक्रम प्रबंधन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्मों की सहायता प्राप्त है। यह मिशन जागरूकता पैदा करने, एसएचजी सदस्यों और सामुदायिक संवर्गो के प्रशिक्षण, तथा सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी), सामुदायिक प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्रों (सीएमटीसी) और राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तरों पर विशिष्ट सहायता प्रणालियों के माध्यम से सामुदायिक संस्थानों को सुदृढ़ करने पर विशेष बल देता है। सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ कार्यक्रम की प्रगति की निरंतर समीक्षा करता है, तकनीकी मार्गदर्शन और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करता है, तथा प्रभावी निगरानी और पारदर्शिता के लिए लोकोस जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों का लाभ उठाता है।

(च) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए कई पहल की हैं, जिसमें सरस, सरस आजीविका और आजीविका ब्रांडों को बढ़ावा देना तथा राज्य-स्तरीय ब्रांडों का विकास शामिल है। मंत्रालय प्रत्येक वर्ष दो राष्ट्रीय स्तर के सरस मेलों, एक सरस खाद्य उत्सव, और 50 से अधिक राज्य-स्तरीय सरस मेलों और सरस खाद्य फेस्टिवलों का आयोजन करता है, जो स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को शहरी बाजारों में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के अवसर प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय नई दिल्ली में सरस आजीविका गैलरी भी चलाता है और उसने एसएचजी उत्पादों की बाजार तक पहुंच और बिक्री के अवसरों को बढ़ाने के लिए जेम, ओएनडीसी, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो और जियोमार्ट के साथ साझेदारी करने के अलावा ई-सरस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी स्थापित किया है।

इसके अतिरिक्त, दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत सतत आजीविका को सुदृढ़ करने के लिए, एसएचजी के सदस्यों और सामुदायिक संवर्गो के लिए वित्तीय साक्षरता, आजीविका संवर्धन और उद्यम विकास पर नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कृषि क्षेत्र में, महिलाओं को कृषि-पारिस्थितिकी खेती, पशुधन-आधारित आजीविका, एकीकृत कृषि समूहों और विशिष्ट सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों जैसे कृषि सखी, पशु सखी, वन सखी और मत्स्य सखी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है, तथा गैर-कृषि क्षेत्र में स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीएपी) ग्रामीण गैर-कृषि उद्यमों को सहायता प्रदान करता है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) अंतर्गत, यह मंत्रालय देश से गरीबी उन्मूलन के लिए ग्रामीण गरीब युवाओं को रोजगार के माध्यम से उनके कौशल विकास हेतु दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है।

"डीएवाई-एनआरएलएम हेतु निधि" के संबंध में लोकसभा में दिनांक 21.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 309 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-।

वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान एनआरएलएम के तहत राज्य-वार केंद्रीय आवंटन, जारी निधि और व्यय (रुपये लाख में)				
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**केंद्रीय आवंटन**	**जारी निधि/मूल स्वीकृति**	***व्यय (जून2026 तक)**
1	आंध्र प्रदेश	41,406	20,703	18,109
2	तेलंगाना	29,576	14,788	7,172
3	बिहार	1,68,859	84,429	0
4	छत्तीसगढ	37,505	18,752	10,098
5	गोवा	1,200	600	548
6	गुजरात	26,719	13,359	2,670
7	हरियाणा	15,719	7,860	0
8	हिमाचल प्रदेश	6,620	3,310	726
9	जम्मू एवं कश्मीर	8,181	4,090	2,611
10	झारखंड	63,670	31,835	1,944
11	कर्नाटक	53,601	26,801	
12	केरल	24,051	12,025	3,269
13	मध्य प्रदेश	36,000	18,000	1,606
14	महाराष्ट्र	1,05,957	52,978	35,520
15	ओडिशा	81,189	40,594	26,511
16	पंजाब	7,639	3,820	1,819
17	राजस्थान	40,701	20,351	8,982
18	तमिलनाडु	62,764	31,382	13,888

19	उत्तर प्रदेश	2,43,100	1,21,550	36,226
20	उत्तराखंड	12,799	6,400	5,761
21	पश्चिम बंगाल	90,225	45,112	4,814
22	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	950	-	4
23	दमन और दीव	700	-	38
24	दादर एवं नगर हवेली			
25	लक्षद्वीप	400	-	0
26	लद्दाख	1,000	-	167
27	पुदुचेरी	2,400	1,200	267
	कुल	**11,62,930**	**5,79,940**	**1,82,750**

***नोट-** कुल उपलब्ध निधि की तुलना में व्यय, जिसमें (प्रारंभिक शेष+ केंद्रीय अंश+ राज्य अंश+ अन्य प्राप्तियां) शामिल हैं।